Uttarakhand Judicial Service Civil Judge (JD) Examination - 2016

No. of Printed Pages : **8**

CJJ- 04

2016

विधि – II (प्रक्रिया एवं साक्ष्य)

LAW – II (Evidence and Procedure)

निर्धारित समय : तीन घण्टे] *[पूर्णांक : 200*

Time allowed : Three Hours] ***[Maximum Marks : 200***

नोट : *अभ्यर्थी को प्रश्न संख्या 1 करना अनिवार्य है तथा अन्य* ***चार*** *प्रश्न करने हैं । प्रत्येक खण्ड से* ***एक*** *प्रश्न करना अनिवार्य है । कुल* ***पाँच*** *प्रश्नों के उत्तर देने हैं । प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं । हालाँकि सभी प्रश्नों के समान अंक हैं ।* ***एक*** *प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यत: एक साथ दिया जाय ।*

Note : *Candidates should attempt Question No.* ***1*** *as compulsory and* ***four*** *more. At least* ***one*** *question must be attempted from each section. In all* ***five*** *questions are to be answered. Marks carried by each question have been indicated against the question. However, all questions carry equal marks. The parts of same question must be answered together.*

1. महाचन्द की पत्नी दयावती गतिमान सर्कस की मालिक थी । सूर्यवीर, गतिमान सर्कस के प्रबन्धक के रूप में विभिन्न स्थानों पर सर्कस के संचालन व प्रबन्धन का कार्य देखता था । दिनांक 15-01-2014 को हरिद्वार में दर्शकों के लिए गतिमान सर्कस लगाया गया । अभयकान्त हरिद्वार में पंसारी की दुकान चलाता था । साथ ही वह लोगों को पंजीकृत रूप से उधार पर धन देने का व्यवसाय भी करता था । सर्कस के चलने की अवधि में सूर्यवीर, नित्य प्रतिदिन की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु अभयकान्त की दुकान से आवश्यक खरीददारी किया करता था । उसी अवधि में सूर्यवीर ने अभयकान्त से एक वचन-पत्र पर रु. दस हजार की धनराशि उधार ली तथा सर्कस के कुछ उपकरण गिरवी के रूप में अभयकान्त के कब्जे में रख दिए । दिनांक 19-03-2014 को प्रबन्धन ने गतिमान सर्कस को ऋषिकेश स्थानान्तरित करने की योजना बनायी । सूर्यवीर ने अभयकान्त से सम्पर्क कर यह अनुरोध किया कि वह गिरवी के रूप में रखे सर्कस के उपकरण उसे वापस कर दे तथा सूर्यवीर ने अभयकान्त को यह वचन भी दिया कि वह ऋषिकेश से उसे उधार की धनराशि (ब्याज सहित) का भुगतान भेज देगा । अभयकान्त इस बात से सहमत नहीं हुआ । उसने कहा कि जब तक उसे भुगतान मिल नहीं जाता वह सर्कस के उपकरण वापस नहीं करेगा । उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत महाचन्द ने, जो देहरादून में एक विक्रय व्यवसायी था, अभयकान्त को एक पत्र लिखा कि वह समस्त धनराशि के भुगतान की जमानती लेता है । फिर भी अभयकांत ने सर्कस के उपकरण वापस नहीं किए । ऋषिकेश से किश्तों में भुगतान किए जाने के पश्चात दिनांक 25-05-2014 को अभयकान्त को सम्पूर्ण

धनराशि का भुगतान कर दिया गया । तत्पश्चात दिनांक 27-05-2014 को महाचन्द ने अभयकान्त को सम्पर्क करके उससे कहा कि चूँकि उसने समस्त देय धनराशि का भुगतान कर दिया है अत: वह लेखा का निर्धारण कर दे तथा सर्कस के उपकरण वापस कर दे । लेकिन अभयकान्त ने उपकरण वापस नहीं किए एवम् अतिरिक्त धनराशि की माँग करने लगा । जिसके, कारण दोनों पक्षों के मध्य सम्बन्ध तनावपूर्ण रहने लगे । महाचन्द को प्रपीड़ित करने के उद्देश्य से अभयकान्त ने 17-06-2014 को मजिस्ट्रेट न्यायालय हरिद्वार में महाचन्द के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत धोखाधड़ी के प्रकरण का परिवाद दायर कर दिया । उक्त परिवाद के फलस्वरूप महाचन्द को दिनांक 28-06-2014 को गिरफ्तार कर लिया गया तथा दिनांक 16-07-2014 को उसे जमानत पर छोड़ दिया गया । उक्त आपराधिक प्रकरण की सुनवाई दो वर्ष से अधिक अवधि तक चली । अन्तत: दिनांक 08-02-2017 को न्यायालय द्वारा महाचन्द को दोषमुक्त कर दिया गया ।

उपरोक्त प्रकरण के दृष्टिगत विद्वेषपूर्ण अभियोजन हेतु क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए एक वादपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए । **30**

उपर्युक्त वादपत्र के उत्तर में प्रतिवादी की ओर से लिखित कथन का प्रारूप भी लिखिए । **10**

अथवा

दिनांक 20-01-2015 को एक करार के आधार पर वादी रामानन्द को मेसर्स एवन कम्प्यूटर्स प्रा.लि. नैनीताल में प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किया गया । सेवा शर्तें तथा वेतन भुगतान करार में वर्णित शर्तों के अधीन थी । रामानन्द की उक्त नियुक्ति रु. पचीस हजार प्रति माह वेतन पर नियुक्ति की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए की गयी । वादी का आरोप है कि प्रतिवादी कम्पनी ने दिनांक 15-03-2017 को बिना किसी पर्याप्त कारण के उसे प्रबन्धक के पद से बर्खास्त कर दिया । वादी का कथन है कि वह करार की सेवा शर्तों का अनुपालन करता हुआ अपने पद के दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक कर रहा था । प्रतिवादी कम्पनी भी वादी के कार्य सम्पादन से सन्तुष्ट थी क्योंकि वादी के अनुसार उसके कर्त्तव्यों के विरुद्ध कम्पनी द्वारा कभी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी । अचानक 15-03-2017 को रामानन्द को प्रतिवादी कम्पनी द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया । वादी ने प्रतिवादी के समक्ष उसको सेवा से विधि विरुद्ध बर्खास्तगी के लिए दिनांक 24-03-2017 को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया । वादी का यह भी कथन है कि उसे सेवा से बर्खास्त करते समय प्रतिवादी कम्पनी द्वारा उसे माह जनवरी तथा फरवरी, 2017 की अवधि के वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया । विधि विरुद्ध बर्खास्तगी के फलस्वरूप वादी को मानसिक तथा आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है । प्रतिवादी के अनुसार कम्पनी ने वादी रामानन्द को करार की शर्तों के आधार पर नियुक्ति देने से इन्कार नहीं किया । प्रतिवादी का कथन है कि वादी रामानन्द सेवा के दौरान अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाह रहा । वह आदतन कम्पनी के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की अवज्ञा करता था जिससे कम्पनी का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता था । प्रतिवादी का कहना है कि वादी रामानन्द दिनांक 26-12-2016 से दिनांक 31-12-2016 तक बिना किसी अवकाश अथवा सूचना के अपने कार्य से अनुपस्थित रहा । प्रतिवादी द्वारा अनुपस्थिति का कारण पूछे जाने पर वादी ने कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दिया । दिनांक 17-02-2017 को कम्पनी ने यह पाया कि वादी ने कम्पनी कार्यों के लिए आबंटित धन में से रु. पैंतीस हजार की धनराशि का दुर्विनियोजन कर लिया तथा उक्त धन की कूटरचित प्रविष्टियाँ अभिलेखों में दर्ज कर दीं । वादी का उक्त कृत्य एक गम्भीर कदाचरण की श्रेणी में आता है । चूँकि वादी, कम्पनी के

हितों के प्रतिकूल कार्य कर रहा था अत: उसे दिनांक 15-03-2017 को कम्पनी की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया । वादी रामानन्द का कथन है कि उसका बर्खास्तगी आदेश दिनांक 15-03-2017 प्रतिवादी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के सर्वथा उल्लंघन में जारी किया गया है अत: न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने योग्य है । वादी ने प्रतिवादी से विशिष्ट एवम् सामान्य क्षतिपूर्ति के रूप में रु. दो लाख की धनराशि भी प्राप्त करने का दावा किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण बनाकर विवाद्यक बिन्दु बनाइए तथा विधिक उपबन्धों और निर्णयज विधि की सहायता से निर्णय लिखिए । **40**

Mahachand's wife Dayawati was the owner of Gatimaan circus. Suryaveer used to lookafter the display and management of the circus at different places as its manager. On 15-01-2014 Gatimaan circus was brought to Haridwar for public display. Abhaykant was running a grocery shop at Haridwar. Simultaneously as a registered moneylender he also gave money on loan to the people. During the period of running of the circus Suryaveer used to purchase day-to-day necessaries from the shop of Abhaykant. During the same period on a promissory note Suryaveer took a loan amount of ₹ ten thousand from Abhaykant and put some equipments of circus as a pledge in possession of Abhaykant.

On 19-03-2014 the circus management planned to shift the circus to Rishikesh. Suryaveer contacted Abhaykant and requested him to release the circus equipments from pledge and give them back to him. Suryaveer also promised to Abhaykant that from Rishikesh he will send the payment of loan amount with interest. Abhaykant did not agree to it. He said that he will not return the circus equipments until he receives the payment of loan amount. Looking to the circumstances Mahachand, who was a sales business man at Dehradun wrote a letter to Abhaykant that he gives his surety to make the payment of entire amount. But still Abhaykant did not return the circus equipments. After making payment in instalments from Rishikesh finally on 25-05-2014 payment of entire money was made to Abhaykant. Thereafter, on 27-05-2014 Mahachand contacted Abhaykant and told him that since he has paid the entire due amount so he should settle the accounts and return the circus equipments to him. But Abhaykant did not return the circus equipments and started claiming more money. Due to this both the parties developed strained relations. With a view to harass Mahachand, Abhaykant on 17-06-2014 filed a complaint before Magistrate Court at Haridwar against Mahachand for cheating under Section 420 of Indian Penal Code. Due to that complaint Mahachand was arrested on 28-06-2014 and was released on bail on 16-07-2014. The hearing of the criminal case was held for a period of more than two years. Ultimately on 08-02-2017 the court acquitted Mahachand from the charges.

Looking to the matter as above mentioned prepare a draft of plaint for claiming compensation for malicious prosecution.

In reply to the above plaint also prepare a draft of the written statement for the defendant.

OR

On 20-01-2015 on the basis of an agreement plaintiff Ramanand was appointed on the post of manager in M/s. Avon Computers Pvt. Ltd. at Nainital. Conditions of service and payment of salary were subject to the terms and conditions in the agreement. Aforesaid appointment of Ramanand was on salary of ₹ twenty-five thousand per month for a term of five years from the date of appointment. Plaintiff has alleged that the defendant company dismissed him from the post of manager on 15-03-2017 without any sufficient reasons. Plaintiff states that he sincerely performed his duties by following the conditions of service in the agreement. Defendant company was also satisfied with his work performance because according to plaintiff the company never gave any adverse comments against his duties. All of a sudden on 15-03-2017 company dismissed Ramanand from the service. Plaintiff submitted his representation on 24-03-2017 before the defendant against his wrongful dismissal from service. Plaintiff also states that while dismissing him from service the defendant company has not paid him salary for the month of January and February 2017. Due to wrongful dismissal the plaintiff has to suffer mental and financial damage. According to the defendant the company has not denied giving appointment to plaintiff Ramanand as per the conditions of the agreement. Defendant states that during the service plaintiff Ramanand was careless towards his duties. He was in the habit of disobeying the instructions of company due to which company's work was adversely affected. Defendant states that from 26-12-2016 to 31-12-2016 plaintiff Ramanand without any leave or notice remained absent from duty. On being asked the reasons for absence by the defendant, plaintiff did not give any satisfactory reply. On 17-02-2017 company found that from the funds allocated for company's work plaintiff misappropriated an amount of ₹ Thirty Five Thousand and for that money he made forged entries into the records. This act of plaintiff amounts to be a gross misconduct. Since plaintiff was working against the interests of company, therefore, he was dismissed from the service of company on 15-03-2017. Plaintiff Ramanand states that his dismissal order dated 15-03-2017 has been issued by the defendant in complete violation of the principles of natural justice, so it is liable to be cancelled by the court. In the form of specific and ordinary damages plaintiff has claimed a compensation of ₹ two lakhs from the defendant.

On the basis of above facts prepare a case, frame the issues and decide the case by supporting legal provisions and case laws.

खण्ड – अ

Group – A

2. (अ) किसी विधि द्वारा विहित धन-सम्बन्धी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, वे वाद जो स्थावर सम्पत्ति के विभाजन के लिए हैं, उस न्यायालय में संस्थित किए जाएँगे, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह सम्पत्ति स्थित है । विस्तारित कीजिए । **10**

(ब) जहाँ कोई वाद दो या अधिक न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया जा सकता है, वाद के किसी एक न्यायालय में संस्थित हो जाने के पश्चात अन्य न्यायालय में वाद को अन्तरित किए जाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए । **10**

(स) वाद के संस्थित हो जाने के उपरान्त प्रतिवादी व साक्षियों को समन किए जाने की विहित प्रक्रिया का वर्णन कीजिए । दस्तावेजों व अन्य भौतिक पदार्थों के प्रकटीकरण की विधि क्या है ? उक्त के व्यतिक्रम के लिए शास्ति का वर्णन कीजिए । **20**

(a) Subject to the pecuniary or other limitations prescribed by any law, the suits which are for the partition of immovable property shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate. Elaborate.

(b) When a suit can be instituted before any one of the two or more courts, and afterwards the suit is instituted in any court, then describe the procedure for transferring the suit to the other court.

(c) After institution of the suit, discuss the prescribed procedure for summoning the defendant and witnesses. What is the law for discovery of documents and other physical objects ? Describe the penalty for default as above.

3. (अ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वर्णित अनुपूरक कार्यवाहियों का वर्णन कीजिये । इस कार्यवाही के गुणदोष भी बताइये । **20**

(ब) लिखित कथन तैयार किए जाते समय मुजरा की विशिष्टियाँ दी जाएँगी । मुजरा के प्रभाव की स्थिति स्पष्ट कीजिए । **10**

(स) 'ख' पर विनिमय-पत्र के आधार पर 'क' वाद लाता है । 'ख' अभिकथन करता है कि 'क' ने 'ख' के माल का बीमा कराने में सदोष उपेक्षा की है और 'क' उसे प्रतिकर देने के लिए दायी है, जिसकी मुजराई का दावा 'ख' करता है । निर्णय दीजिए । **10**

(a) Explain the supplemental proceedings as has been mentioned under Code of Civil Procedure, 1908. Mention it's merits and demerits too.

(b) Particulars of set-off should be given while preparing written statement. Explain the effect of set-off.

(c) 'A' sues 'B' on a bill of exchange. 'B' alleges that 'A' has wrongfully neglected to insure 'B's goods and is liable to pay compensation to him, which he claims to set-off. Decide.

4. (अ) सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उपबन्धित विवाद्यकों की विरचना सम्बन्धी प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। 20

(ब) प्रापक की नियुक्ति से सम्बन्धित विधि का वर्णन कीजिये। उसके अधिकार व कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। 20

(a) Discuss in detail the procedure relating to framing of issues as provided under Civil Procedure Code.

(b) Explain the law relating to appointment of receivers. Mention the rights and duties of the receiver.

5. (अ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन उपबन्धित न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति की प्रक्रिया, विस्तार व सीमाओं का वर्णन कीजिये। पुनर्विलोकन व पुनरीक्षण में अन्तर भी कीजिये। 20

(ब) सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए। 10

(स) सर्वोच्च न्यायालय की मामलों को अन्तरण की शक्ति का वर्णन कीजिए। 10

(a) Explain the procedure, extent and limitations of the power of revision of the court which has been provided under Code of Civil Procedure, 1908. Differentiate between the review and revision too.

(b) Discuss the powers of Appellate Court as given under Civil Procedure Code.

(c) Discuss the power of Supreme Court to transfer suits etc.

खण्ड – ब

Group – B

6. (अ) सह-अभियुक्त कौन है ? सह-अभियुक्त द्वारा दिए गए साक्ष्य की सुसंगतता तथा ग्राह्यता सम्बन्धी साक्ष्य विधि का वर्णन कीजिए। 10

(ब) सत्र न्यायालय के समक्ष 'अ' के विरुद्ध 'ब' के समक्ष जो कि एक मजिस्ट्रेट है, मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग चलाया गया। क्या 'ब' से पूछा जा सकता है कि 'अ' ने उससे क्या कहा था ? विचार कीजिए। 10

(स) क्या एक पुलिस अधिकारी को यह बताने के लिए विवश किया जा सकता है कि किसी अपराध के घटित होने की सूचना उसे कैसे प्राप्त हुई ? विचार कीजिए व निर्णीत कीजिये। 10

(द) एक मामले में न्यायालय के समक्ष किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए कम से कम कितने साक्षियों की आवश्यकता होनी चाहिए ? विधि का वर्णन कीजिए। 10

(a) Who is an accomplice ? Discuss the relevancy and admissibility of the evidence given by an accomplice as provided under law of evidence.

(b) 'A' is accused before the Court of Session of having given false evidence before 'B', a Magistrate. Can 'B' be asked as to what 'A' said to him ? Consider.

(c) Can a police officer be compelled to say whence he got the information as to commission of an offence ? Consider and decide.

(d) At least how many witnesses would be required to proof a fact in any case before the court ? Discuss the law.

7. (अ) विबन्ध से आप क्या समझते हैं ? विबन्ध सम्बन्धी साक्ष्य विधि का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए तथा इसके अपवाद भी बताइये । **20**

(ब) किसी बच्चे की वैधता का निश्चयात्मक साक्ष्य क्या है ? सम्बन्धित विधि का वर्णन कीजिए । **10**

(स) दहेज मृत्यु के सन्दर्भ में साक्ष्य विधि की उपधारणा का वर्णन कीजिए । **10**

(a) What do you understand by estoppel ? Discuss in detail the law relating to evidence of estoppel and mention it's exceptions.

(b) What is the conclusive proof of legitimacy of a child ? Discuss related law.

(c) Discuss the presumption of evidence law with reference to dowry death.

8. (अ) प्रति-परीक्षा क्या है ? किसी साक्षी से प्रति-परीक्षा के समय विधिक रूप से कौन से प्रश्न पूछे जा सकेंगे ? स्पष्ट कीजिए । **20**

(ब) 'अ' अपराध कारित करने का अभियुक्त है । पुलिस के अन्वेषण में यह संज्ञान में आया कि 'अ' अपने घर पर नहीं है कहीं चला गया है । परीक्षण कीजिए । **10**

(स) 'अ' का 'स' की हत्या के लिए विचारण चल रहा है । ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं कि 'स' की हत्या 'अ' तथा 'ब' ने की है तथा 'ब' ने ऐसा बयान दिया है कि 'अ' तथा मैंने 'स' की हत्या की । इस साक्ष्य की सुसंगतता का परीक्षण कीजिए । **10**

(a) What is cross-examination ? What questions are lawful during the cross-examination of a witness ? Explain.

(b) 'A' is accused of a crime. During the investigation it comes to the notice of the police that 'A' has gone somewhere from his house. Examine.

(c) 'A' is on his trial for the murder of 'C'. There is evidence to show that 'C' was murdered by 'A' and 'B', and that 'B' said "A and I murdered C". Examine the relevancy of this evidence.

9. (अ) संक्षिप्त विचारण क्या है ? किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जाएगा ? कौन सी न्यायालय संक्षिप्त विचारण कर सकेगी ? संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए । **20**

(ब) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अपराधों का संज्ञान लेने में परिसीमा की विधि का उल्लेख कीजिए । **10**

(स) सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दण्ड के आदेश के पुष्टिकरण सम्बन्धी विधि को स्पष्ट कीजिए । **10**

(a) What is summary trial ? Which offences would be tried summarily ? Which court is competent to conduct summary trial ? Discuss the summary trial procedure.

(b) Mention the law relating to limitations for cognizance of certain offences as has been provided under Code of Criminal Procedure, 1973.

(c) Explain the law in relation to confirmation of order of death sentence as passed by the Court of Session.

10. (अ) निर्णय को न्यायपालिका की भाषा में लिखा जाए । मृत्यु दण्ड दिए जाने की दशा में न्यायालय द्वारा निर्णय में विशेष कारणों का उल्लेख किया जाए । सुसंगत विधि की सहायता से स्पष्ट कीजिए । **20**

(ब) अभिवाक्-सौदेबाजी क्या है ? सुसंगत सांविधिक उपबन्धों की सहायता से वर्णन कीजिए । **10**

(स) दोषमुक्ति एवम् उन्मोचन में अन्तर स्थापित कीजिए । अपने उत्तर के समर्थन में सांविधिक उपबन्धों की सहायता भी लीजिए । **10**

(a) Judgement shall be written in the language of the court. In case death sentence is awarded special reasons should be given in the judgement. Explain with the help of relevant law.

(b) What is plea-bargaining ? Discuss with the help of relevant statutory provisions.

(c) Distinguish between acquittal and discharge. Support your answer with the help of statutory provisions.